कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 780 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, अगस्त 16– 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/DISP/49674/2020)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2915/11–सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 11.06.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक– 11.06.2021 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–298/रेनुकूट/15–258 दिनांक 26.07.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कर संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2915/11–सीFP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 11.06.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग पुनः गलत अंकित किया गया है । अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार ही सही व्यास वर्ग(0 से 30सेमी0, 31 से 60 सेमी0, 61 से 90 सेमी0 .... के अनुसार) अंकित कर संषोधित सूची प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित सूची अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रष्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 65 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसे ऑन लाईन भाग–2 के निर्धारित प्रारूप में अपलोड कराते हुए Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट करा दिया गया है । संशोधित सूची वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–16 पर संलग्न करने हेतु 3 प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक– 343/11–सी, दिनांक– 14.08.2020 के क्रम मे संलग्न किया गया प्रमाण–पत्र पुनः न तो मूल में है और न ही मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है । अतः मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मूल में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित प्रमाण–पत्र अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 107 पर संलग्न करने हेतु 3 प्रतियो में संलग्न है । पूर्व का प्रमाण पत्र ऑन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट करा दिया गया है ।

3	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष 01 हे0 का ही मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया गया है , जो कि अपूर्ण है । अतः 2 हे0 का गणना पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –13(।) में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षीय मॉडल प्राक्कलन 10 हे0 का संलग्न किया गया है । संलग्न प्राक्कलन में 10 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशिरू0 13,51,700/– तथा 01 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशि रू0 1,35,170/–व प्रस्ताव में प्रस्तावित 2.00 अवनत वन भूमि पर व्यय हाने वाली निर्धारित धनराशि रू.0 2,70,340/– अंकित कराते हुए ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है । व्यय अनुमान पत्र के अन्तिम पन्ना की सत्यापित प्रतिलिपि वन भूमि हस्तान्तरण के पृष्ठ संख्या– 95 पर संलग्न करने हेतु 3 प्रति संलग्न है ।
4	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का पूर्ण Soi Topoheet पुनः अपलोड नही किया गया है । अतः इसे डिलिट कर फुल साइज का सत्यापित Soi Topoheet ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में फुल साइज की Soi Topoheet जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित है ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड किया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है । अतः एक समान सही विवरण अंकित करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में रोजगार का विवरण हार्डकापी भाग–1 में एवं ऑनलाइन भाग–1 में एक समान सही विवरण अंकित करा दिया गया है ।हार्ड कापी की एक पन्ना वन भूमि हस्तान्तरण परताव के पृष्ठ संख्या–1 पर संलग्न करने हेतु 3 प्रति संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 780 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूद को उनके कार्यालय पत्रांक–298/रेनुकूट/15–258 दिनांक 26.07.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर